तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी हुए व
10/4/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वादी हाजिर [illegible] नहीं है। निर्विवाद [illegible] प्रकरण में नियमानुसार नामान्तरण आदेश पारित किया गया। पत्रावली ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] के बाद [illegible] दाखिल दफ्तर की जाये [illegible] [signature] उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

ठाकुर जी श्री गोविन्द देव जी महाराज विराजमान अनाज मण्डी करौली जरिये नैक्स फ्रैण्ड दर्शनार्थी घनश्याम पुत्र कलुआ आयु 50 साल जाति माली निवासी करौली तहसील व जिला करौली राज0

–वादी

बनाम

1. यतेन्द्रपाल पुत्र हिम्मतपाल
2. जितेन्द्रपाल पुत्र हिम्मतपाल

जाति राजपूत निवासी करौली तह व जिला करौली

3. मुस. लक्ष्मीदेवी बेवा हिम्मतपाल जाति राजपूत निवासी करौली प्रबंधकगण पंच महाजनान मंदिर ठाकुर जी गोविन्द देव जी विराजमान अनाज मण्डी करौली जरिये–
4. मोतीलाल पुत्र सांवलिया राम
5. वासुदेव गुप्ता पुत्र केदारलाल
6. राधेश्याम पुत्र मूलचंद
7. वल्लभ पंसारी पुत्र सूका पंसारी
8. तेजनारायण पुत्र

जाति महाजन निवासीयान करौली प्रबंधकगण पंच महाजनान मंदिर ठाकुर जी गोविन्ददेवजी विराजमान अनाज मण्डी करौली

9. तहसीलदार तहसील करौली लैण्ड होल्डर

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र 88, 188, 183 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 89/09

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री श्याम सुन्दर शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू श्री श्याम प्रकाश गर्ग, एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है। वादी ठाकुरजी श्री मंदिर गोविन्द देवजी महाराज विराजमान अनाजमंडी करौली को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 5315 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा व दखल बाबत खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 10/4/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–89 / 09 तारीख रजु:–09.12.09

उनवान

ठाकुर जी श्री गोविन्द देव जी महाराज विराजमान अनाज मण्डी करौली जरिये नैक्स फ्रैण्ड दर्शनार्थी घनश्याम पुत्र कलुआ आयु 50 साल जाति माली निवासी करौली तहसील व जिला करौली राज0

–वादी

बनाम

1. यतेन्द्रपाल पुत्र हिम्मतपाल
2. जितेन्द्रपाल पुत्र हिम्मतपाल

जाति राजपूत निवासी करौली तह व जिला करौली

3. मुस. लक्ष्मीदेवी बेवा हिम्मतपाल जाति राजपूत निवासी करौली प्रबंधकगण पंच महाजनान मंदिर ठाकुर जी गोविन्द देव जी विराजमान अनाज मण्डी करौली जरिये–
4. मोतीलाल पुत्र सांवलिया राम
5. वासुदेव गुप्ता पुत्र केदारलाल
6. राधेश्याम पुत्र मूलचंद
7. वल्लभ पंसारी पुत्र सूका पंसारी
8. तेजनारायण पुत्र

जाति महाजन निवासीयान करौली प्रबंधकगण पंच महाजनान मंदिर ठाकुर जी गोविन्ददेवजी विराजमान अनाज मण्डी करौली

9. तहसीलदार तहसील करौली लैण्ड होल्डर

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र 88, 188, 183 आर टी एक्ट

–::निर्णय::– दिनांक :– 10/4/26

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी परपीच्यूल माईनर है। और वादी की ओर से प्रार्थी को दर्शनार्थी व नैक्स फ्रैण्ड होने के नाते दावा करने का पूर्ण अधिकार है और वादी के सभी हितो की रक्षा करने का पूर्ण कर्तव्य है। प्रार्थी का कोई एडवर्स इन्ट्रेस्ट नही है। वाके कस्बा करौली में वादी के खादी काश्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 5315 रकवा 5 वीघा 1 विस्वा वजड 2 ख.न. 5430 रकवा 7 विस्वा वा.1 ख.न. 5421 रकवा 11 विस्वा बारानी 1 ख0न0 5432 रकवा 2 विस्वा बारानी 1 कुल किता 4 कुल रकवा 6 वीघा 1 विस्वा वाके कस्बा करौली में स्थित है। ये जमीनें वादी ठाकुर जी की रियासत काल से पट्टें पर दी गई थी तभी से वादी ठाकुर जी के कब्जे काश्त की व खातेदारी काश्ताकरी में चली आ रही है। तथा वादी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

समय समय पर साल दर साल भेज पर काश्त कराई जाती रही है। जिससे वादी के सेवा पूजा राग भोग का कार्य होता है। वादी की ओर से प्रतिवादीगण पंच महाजनान ने एक प्रबंध समिति ठाकुर जी की ओर ठाकुर जी की चल व अचल संपत्ति की देख भाल के लिये बना रखी है। प्रतिवादीगण 4 ता 8 मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य है। जो बहुत ही चतुर चालाक किस्म के व्यक्ति है। और अन्य कई धार्मिक संस्थाओं से अनुचित लाभ लेने की दृष्टीकोन से एक समूह बना कर आम जनता की धार्मिक आस्था का दुरूप्योग धन कमाने की दृष्टी से संकीय सदस्य, प्रबंधक व अध्यक्ष का पद संभाल लेते हैं। व्यवस्था अपने हाथ में रख कर एवं धार्मिक यात्राऐं, धार्मिक कार्यक्रम का अयोजन करते है कपट एवं बेईमानी पूर्वक ठाकुर जी की संपत्ति का अनुचित लाभ लेते है ठाकुर जी की संपत्ति के समस्त पट्टा व कागजात प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 कब्जे में है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 से साज कर विनाय बदयान्ति वादी की वगैर मरजी के वादी ठाकुर जी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 5315 रकवा 5 वीघा 1 विस्वा भूमि का नामान्तकरण प्रतिवादी सं.0 1 ता 3 के हक में करा दिया है। उक्त आराजी बेशकिमती भूमि है जो करीब एक करोड रूप्ये की संपत्ति है का गुप्त रूप से सौदा कर विक्रय कर दिया है। फलस्वरूप प्रतिवादी नं0 1 ता 3 अपने विधि विरूद्ध खातेदारी अधिकारों के रहते उक्त आराजी में आवासीय कॉलोनी का निर्माण करने पर उतारू है। और आवासीय कॉलोनी बनाने के उद्देश्य से प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने नक्शा ब्ल्यू प्रिंट बनवा लिया हैं और लोगों से आवासीय प्लाट विक्रय हेतु बातचीत करना प्रारम्भ कर दिया है। प्रार्थी दिनांक 10.11.09 को जब मंदिर में दर्शन करने गया तो वहा प्रतिवादीगण की रची गयी साजिश की चार्चासुन कर प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के पास जाकर जानकारी की और उनसे कहा कि यह ठाकुर जी की जमीन है। आप आवासीय भूखण्ड नही बना सकते तो उन्होंने ऐलानियां कहा कि हम इस जमीन में आवासीय कॉलोनी बना कर रहे इस जमीनों से ठाकुर जी का कोइ सबंध नही है। यह हमारे खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादीगण ठाकुर जी के खातेदारी अधिकारों को नकारने लग गये है। व ठाकुर जी को कब्जा देने से भी इंकार कर दिया हैं। यही वजह नालिश है। प्रतिवादी नं0 1

उपखण्ड अधिकारी

ता 3 के हक में जो खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने राजस्व कर्मचारियों से व प्रतिवादी सं0 4 ता 8 से साज कर प्रशासन में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने करा लिये है। विधि विरूद्व है। निरस्तनीय है। और ठाकुर जी के हितों पर प्रभावहीन व शून्य है। व वादी ठाकुर जी अपने नाम के खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त करने व खातेदारी इन्द्राज अपने हक में कराने व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 से दखल प्राप्त करने व प्रतिवादीगण को रहन वय नही करने व ठाकुर जी की कृषि भूमि को अकृषि से परिवर्तित नही करने हेतू जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने के मुश्तहक हैं। आराजी खसरा नं0 5430, 5421, 5432, रकवा 1 वीघा कस्बा करौली को प्रतिवादी सं0 4 ता 8 पंच महाजनान ने विनाय बदयान्ति वादी की वगैर मरजी के राजस्व कर्मचारियों से साज कर ठाकुर जी के खुद काश्त खातेदारी की उक्त आराजीयात को बेईमानी पूर्वक अनुचित लाभ उठाने की गरज से ठाकुर जी के नाम के इन्द्राजों को राजस्व रिकार्ड से हटवा कर पंच महाजनान के नाम के इन्द्राज करा लिये जब वादी ने इस इन्द्राजों को दुरूस्त कराने को कहा तो प्रतिवादीगण 4 ता 8 साफ इंकार हो गये और कहा कि ठाकुर जी का इस भूमि से संबंध नही हैं। यह तो हमारी पंच महाजनान की भूमि है। तुम दखल देने वाले कौन होते है। तुम जहां चाहों पुकारों मंदिर महाजनों का हैं। हम भी महाजन है। तुम जमीन को हजम करने की बात करते तो हम तो इसी प्रकार मंदिर की संपत्ति को हजम करेंगें। प्रतिवादीगण के हक में राजस्व रिकार्ड में जो गलत इन्द्राज अपने नाम के करा लिये है जो गैर कानूनी हैं। और निरस्त होने योग्य हैं। दिनांक 13.11.09 को जिला कलेक्टर से उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर मालूम हुआ है कि उक्त विवादित भूमि दर्ज वाद पत्र पैरा नं0 1 में से ख0न0 5315 रकवा 5 वीघा 1 विस्वा जमीन जिसका साविक नं0 4188 है का नामान्तकरण दिनांक 13.02.09 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक में वगैर वादी की मरजी के कर दिया है। जो वादी के हकूको पर प्रभावहीन हैं। और गैर कानूनी होने के आधार पर वादी के हकूको पर बेअसर हैं। और निरस्त होने योग्य है। वादी ने प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को दिनांक 10.11.09 को कहा तो उन्होने कहा तुम कौन हो हमे तो मंदिर प्रबंधक समिति ने इस भूमि का विक्रय किया है। हम तो इस भूमि

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

को आवासीय कॉलोनी में परिवर्तित करके रहेगें तुम चाहे जहां पुकारों मुझ वादी ने दिनांक 10.11.09 को जब प्रतिवादी सं0 4 ता 8 से इस संबंध में बातचीत की तो उन्होने कहा हम तो अभी 1 वीघा भूमि दर्ज वाद पत्र पैरा नं0 2 व 3 जो हमने पंच महाजनान के नाम करली है का भी इसी प्रकार गुप्त रूप से बेचानी करेगें और इसी प्रकार अनुचित लाभ लेगें हम प्रबंधक है। यह हमारी व्यवस्था है। तुम हमारा कुछ नही कर सकते तुम पर जो किया जावे करो अदालत खुली पडी है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के अनाधिकृत कृत्य से वादी के हकूको पर भारी आघात है। उक्त आराजीयात दर्ज वाद पत्र पैरा नं0 2 व 3 में खडे वृक्षों को काटने पर उतारू हो रहे है। और निर्माण कराने के प्रयास में है। और दीगर रहन वय करने पर भी आमादा है। इस सब कृत्यों से वादी के हकूको पर भारी आघात है। इसलिये वादी साविक खातेदारी के आधार पर उक्त विवादित आराजीयात दर्ज वाद पत्र पैरा नं0 2 व 3 की घोषणा व राजस्व रिकार्ड के हक में इन्द्राज दुरूस्ती कराने का मुश्तहक है। वादी प्रतिवादीगण को अपने खातेदारी की उक्त आराजीयात खसरा नं0 5315 रकवा 5 वीधा 1 विस्वा, 5430, 5421, 5432 रकवा 1 वीघा कस्बा करौली पर काबिज रखना नही चाहता क्यों कि इस प्रकार के अवैध साजिश व हस्तान्तरण से भविष्य में बेचान के कारण प्रतिवादीगण से कब्जा वापिसी मांगने की दिनांक 18.11.09 को कही तो साफ इंकार हो गये इसलिये प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात पर ट्रेस पासर काबिज होने से काबिल बेदखली है। विनाय दावा दिनांक 10.11.09 व 13.11.09 को प्रतिवादीगण की फर्जीयत की जानकारी मालूम होने पर दिनांक 18.11.09 को वादी के हकूको सें इंकार करने पर अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुआ। दावा अंदर मियाद है। काबिल समाअत अदालत हाजा है। दावा वादी व खिलाफ प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 मय खर्चा डिक्री फरमाया जावे कि विवादित आराजीयात खसरा नं0 5315 रकवा 5 वीघा 1 विस्वा, 5430, 5421, 5432 रकवा 1 वीघा वाके कस्बा करौली मुन्दर्जे वाद पत्र पैरा नं0 2 व 3 खातेदारी की घोषणा वादी के हक में की जावें एवं कागजात पटवार में से प्रतिवादी नं0 1 ता 3 व 4 ता 8 पंच महाजनान का नाम हजफ फरमाया जावे और वादी का नाम कागजात पटवार में अंकित किया जावें। आराजीयात खसरा नं0 5315 रकवा 5

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

वीघा 1 विस्वा का अवैध नामान्तकरण दिनांक 13.02.09 को हुआ है। उसे व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 पंच महाजनान के अवैध नाम को प्रभावहीन घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण को वेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावंद फरमाया जावे कि वाद पत्र के मद नं0 2 में वर्णित आराजी खसायरा नं0 5330, 5421, 5432 कुल किता 4 कुल किता 6 वीघा 11 विस्वा स्थित वाके करबा करौली को अन्य किसी को विधि की किसी भी रीति से हस्तान्तरण न तो स्वयं करे नाअन्य किसी अन्य से करावें। अंत में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई और प्रतिवादी नंबर 4 ता 8 द्वारा जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया है कि वादी का परपीच्यूल माईनर होना स्वीकार है। वादी की ओर से घनश्याम पुत्र कलुआ को दावा करने का कोई अधिकार क्षेत्र हासिल नही है। वादी ना तो ठाकुर जी का दर्शनार्थी है ना ही काबिज है। घनश्याम ने दावा के टाइटल में अपना पूरा पता मकान नंबर मोहल्ला आदि तक दर्ज नही किया है। वादी ठाकुर जी गोविन्द देव जी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की होना स्वीकार है वाकी इवारत गलत है और स्वीकार नही है। पंच महाजनान द्वारा ठाकुर जी की चल व अचल संपत्ति की देखभाल के लिए प्रबंध समिति बनाई जाना स्वीकार है। वाकी इवारत गलत है और स्वीकार नही है। प्रतिवादी नं0 4 ता 8 का चतुर व चालाक होना, अन्य कई संस्थाओं में अनुचित लाभ दृष्टिकोण होना समुह बना कर धार्मिक आस्था का दुरूपयोग करना, कपट पूर्वक व बेईमानी पूर्वक ठाकुर जी की संपत्ति का अनुचित लाभ लेना सभी तथ्य गलत दर्ज किये गये है। हम जवाबदारान की ओर से ना तो कोई गुप्त सौदा हुआ है ना ही हम आवासीय कॉलोनी बनाने पर उतारू है। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के हक में नामान्तकरण होना उनके द्वारा ब्ल्यू प्रिंट बनवाना हमारी जानकारी में नही हैं। दिनांक 10.11.09 की कहानी गलत बयां की गयी है। दावा कर्ता घनश्याम कोई दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विवादित जमीनें हम प्रतिवादीगण नं0 4 ता 8 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

ना तो अपने नाम दर्ज कराया है ना ही हमने पंच महाजनान के नाम कराया है। घनश्याम दावा पेशकर्ता से कभी भी हम जवाबदारान घनश्याम को जानते तक नही वादी गोविन्द देव जी की जमीन को स्वयं हडपना चाहता है। इस दावे की आड़ मे अदालत के आदेश से जमीनों पर स्वयं कब्जा होना चाहता है। इसलिये ऐसी दादरसी किसी भी सूरत में दिये जाने योग्य नही है। विवादित जमीन खसरा नं0 5315 का नामान्तकरण दिनांक 13.2.09 को बिना जानकारी ठाकुर जी गोविन्द देवजी के होना स्वीकार है। नामान्तकरण ठा.गोविन्द देवजी के हको पर प्रभावहीन व बेअसर होना भी स्वीकार है। शेष इबारत गलत है और स्वीकार नही है। दिनांक 10.11.09 की कहानी गलत दर्ज की है। हम जवाबदारान से घनश्याम माली की कोई बात नही हुई, गलत तथ्य दर्ज किये है। प्रति. नं0 1 ता 3 द्वारा नक्शा बनावाना आवासीय कॉलोनी काटने की बातचीत हमारी इल्म में हमारे सामने कभी भी नही हुई है। दावा पेश करता घनश्याम कोई दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। हमारे द्वारा कभी कोई पेड ठाकुर जी की किसी भी जमीन में ना तो काटे है ना ही कटवाये है ना ही कोई निर्माण कराया ना ही निर्माण कराना चाहते है। दिनांक 18.11.09 की कहानी भी बिल्कुल गलत दर्ज की गयी है। पूर्ण जवाब उज्रात मजीद में दर्ज किया जा रहा है। घनश्याम को हम जवाबदारान के विरूद्व कोई विनाय दावा पैदा नही हुई। ठाकुर जी गोविन्द देवजी विराजमान मंदिर गोविन्द देव जी अनाज मण्डी करौली का सेवा पूजा जमीन जायदाद की देखभाल रख रखाव सुरक्षा आदि का कार्य पंच महाजना करौली द्वारा किया जाता है। अग्रवाल समाज द्वारा इस संबंध में चुनाव द्वारा प्रबंधक नियुक्त किये जाते है। ठाकुर जी गोविन्द देव जी की जमीन जायदाद को सुरक्षित करने के लिये प्रबंधकगण द्वारा जमीनों के कई मुकदमें कर अधिकतर जमीनों की खातेदारी वापिस ठाकुर जी मंदिर गोविन्द देव जी के नाम कराई है। कुछ जमीनों को कब्जा प्राप्त कर लिया हैं। कुछ पर कब्जा लेने की प्रक्रिया न्यायालयों में लंबित हैं। जिसमें प्रबंधकगण व अग्रवाल समाज अपनी ओर से पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। विवादित आराजी खसरा नं0 5430, 5421, 5432 कस्बा करौली का जमाबंदी में पंच महाजनान के हक में सैटलमेंट विभाग द्वारा किया गया है। सन् 1958

से पंच महाजनान के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। जिस पर ठाकुर जी गोविन्द देवजी के प्रबंधक की हैसियत से हमारा कब्जा है। हमने इन जमीनों को कही रहन वय नही किया है ना ही रहन वय करने का इरादा रखते है ठाकुर जी की जमीन है। ठाकुर जी की ही रहेगी। इन जमीनों के अलावा कुछ अन्य जमीनें भी पंच महाजनान के खातेदारी में आ गयी थी उन्हें धीरे धीरे ठाकुर जी मंदिर गोविन्द देव जी के हक में प्रबंधकगण द्वारा इन्द्राज कराया जा चुका है। विवादित उक्त जमीनें पंच महाजनान के नाम रहे गये है इनकी भी ठाकुर जी के हक में खातेदारी की कार्यवाही की जा रही है। घनश्याम माली ठाकुर जी की आड में जमीनों का कब्जा हम से प्राप्त नही कर सकता है। हम जवाबदारान का ठाकुर जी गोविन्द देव जी से कोई एडवर्स इन्ट्रेस्ट नही है। हमारे द्वारा कभी कोई बेचान नही किया गया ना ही कोई राशि प्राप्त की ना ही कोई व्यक्तिगत लाभ लिया है। घनश्याम माली द्वारा हमारी खिलाफ इस दावे में जो गलत लांछन लगाये जाने है उसके लिये विरूद्ध अलग से कार्यवाही की जा रही है। आराजी खसरा नं0 5315 कस्बा करौली का बेचान भी हम जवाबदारान द्वारा नही किया गया है। नामान्तकरण खुलने में भी हमारी सहमति नही रही है। हमारे द्वारा ना तो उसमें प्लाट काटे जा रहे है ना ही नक्शा तैयार किया है ना ही हमारी सह पर यह कार्यवाही हो रही है। खसरा नं0 5315 कस्बा करौली ठाकुर जी मंदिर गोविन्द देव जी महाराज करौली की खातेदारी व कब्जे काश्त की है और हमेशा ठाकुर जी की ही खातेदारी की रहेगी। ठाकुर जी की जमीन को बेचने का हक किसी प्रबंधक को नही हैं। यदि यह जमीन ठाकुर जी के पूर्व में रहे प्रबंधक द्वारा वय की गयी है तो वह भी गैर कानूनी है। यदि कोई वयनामा हुआ हो तो वह भी नल एण्ड वोइड हैं। उससे खरीददार कोई लाभ प्राप्त नही कर सकते है। घनश्याम पुत्र कलुआ जाति माली निवासी करौली को ठाकुर जी की ओर से दावा करने का कोई अधिकार नही है। घनश्याम ठाकुर जी गोविन्द देवजी में कोई हित नही रखता हैं। घनश्याम ठाकुर जी का दर्शनार्थी नही है। यहा तक कि दावा में घनश्याम का पूरा पता मकान मोहल्ला तक दर्ज नही है। जवाबदारान से घनश्याम कभी नही मिला ना ही हमारी कोई बातचीत हुई गलत तथ्य दर्ज करते हुए यह दावा विवादित जमीनों पर कब्जा

प्राप्त करने की दृष्टी से कर दिया है। दावा ठाकुर जी के हित में नही किया गया है। आराजी खसरा नंबर 5315 रकवा 5 वीघा 1 विस्वा वाके कस्बा करौली ठाकुर जी गोविन्द देवजी के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। परपीच्यूल नावालिग की जमीनों का बेचान नही हो सकता ना ही ऐसे बेचान से खरीददार को कोई खातेदारी हकूक प्राप्त हो सकते हैं। बेचान ठाकुर जी के हकूको पर प्रभावहीन बेअसर है। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के हक में जो जमाबंदी में इन्द्राज हो रहे हैं। वह गलत है इसलिये इस जमीन की खातेदारी ठाकुर जी गोविन्द देव जी के हक में घोषित की जावे। घोषणा के अनुसार राजस्व एवं रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने जो अवैध कब्जा इस जमीन पर कर रखा हैं। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को बेदखल कर कब्जा ठाकुर जी गोविन्द देव जी को जरिये प्रबंधकगण दिलाया जावें। प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे इस जमीन में कोई निर्माण कार्य नही करे ना किसी अन्य से करायें। मौके की स्थिति यथावत रखें। आराजी खसरा नं0 5430, 5421, 5432 रकवा 1वीघा का ठाकुर जी गोविन्द देव जी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। इसी अनुसार रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज किये जाते है। विनाय मुखासमत घनश्याम द्वारा दावा पेश होने पर गलत इन्द्राजात का पता लगने पर हुआ है। अदालत हाजा को दावा सुनवाई का हक हासिल है। दावा का कोर्ट फीस 3 रूप्या बतौर काउन्टर क्लेम पेश है। काउन्टर क्लेम इल्म से अंदर मियाद पेश है। अंत में दावा वादी खारिज किया जावे एवं काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये:–

1. आया वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 5315, 5430, 5421, 5432 कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा कस्बा करौली वादी मंदिर के खातेदारी की है। वादी मंदिर के हक में खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है।

–वादी

2. आया वादी मंदिर वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

—वादी

3. आया वादी मंदिर वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण को बेदखल कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

—वादी

4. आया वादी को वाद लाने का अधिकार नहीं है।

—प्रतिवादीगण

5. आया वादग्रस्त भूमि पंचमहाजनान के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। प्रतिवादी नंबर 4 ता 8 मंदिर के हक में घोषणा खातेदारी कराने के अधिकारी है।

—प्रतिवादीगण नंबर 4 ता 8

6. अनुतोषः—

वाद विवाद्यक बिन्दू प्रकरण में वादी द्वारा कोई साक्ष्य पत्रावली में मौखिक प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य वादी दिनांक 2.4.2026 को बंद की गई एवं प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि वादी परपीच्यूल माईनर है। और वादी की ओर से प्रार्थी को दर्शनार्थी व नैक्स फ्रैण्ड होने के नाते दावा करने का पूर्ण अधिकार है और वादी के सभी हितो की रक्षा करने का पूर्ण कर्तव्य है। प्रार्थी का कोई एडवर्स इन्ट्रेस्ट नही है। वाके कस्बा करौली में वादी के खादी काश्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 5315 रकवा 5 वीघा 1 विस्वा वजड 2 ख.न. 5430 रकवा 7 विस्वा वा.1 ख.न. 5421 रकवा 11 विस्वा बारानी 1 ख0न0 5432 रकवा 2 विस्वा बारानी 1 कुल किता 4 कुल रकवा 6 वीघा 1 विस्वा वाके कस्बा करौली में स्थित है। ये जमीनें वादी ठाकुर जी की रियासत काल से पट्टें पर दी गई थी तभी से वादी ठाकुर जी के कब्जे काश्त की व खातेदारी काश्ताकरी में चली आ रही है। तथा वादी द्वारा समय समय पर साल दर साल भेज पर काश्त कराई जाती

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

रही है। जिससे वादी के सेवा पूजा राग भोग का कार्य होता है। वादी की ओर से प्रतिवादीगण पंच महाजनान ने एक प्रबंध समिति ठाकुर जी की ओर ठाकुर जी की चल व अचल संपत्ति की देख भाल के लिये बना रखी है। प्रतिवादीगण 4 ता 8 मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य है। जो बहुत ही चतुर चालाक किस्म के व्यक्ति है। और अन्य कई धार्मिक संस्थाओ से अनुचित लाभ लेने की दृष्टीकोन से एक समूह बना कर आम जनता की धार्मिक आस्था का दुरूपयोग धन कमाने की दृष्टी से संकीस सदस्य, प्रबंधक व अध्यक्ष का पद संभाल लेते है। व्यवस्था अपने हाथ में रख कर एवं धार्मिक यात्राऐं, धार्मिक कार्यक्रम का अयोजन करते है कपट एवं बेईमानी पूर्वक ठाकुर जी की संपत्ति का अनुचित लाभ लेते है ठाकुर जी की संपत्ति के समस्त पट्टा व कागजात प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 कब्जे में है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 से साज कर विनाय बदयान्ति वादी की बगैर मरजी के वादी ठाकुर जी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 5315 रकवा 5 वीघा 1 विस्वा भूमि का नामान्तकरण प्रतिवादी सं.0 1 ता 3 के हक में करा दिया है। उक्त आराजी बेशकिमती भूमि है जो करीब एक करोड रूप्ये की संपत्ति है का गुप्त रूप से सौदा कर विक्रय कर दिया है। फलस्वरूप प्रतिवादी नं0 1 ता 3 अपने विधि विरूद्ध खातेदारी अधिकारों के रहते उक्त आराजी में आवासीय कॉलोनी का निर्माण करने पर उतारू है। और आवासीय कॉलोनी बनाने के उद्‌देश्य से प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने नक्शा ब्ल्यू प्रिंट बनवा लिया हैं और लोगों से आवासीय प्लाट विक्रय हेतु बातचीत करना प्रारम्भ कर दिया है। प्रार्थी दिनांक 10.11.09 को जब मंदिर में दर्शन करने गया तो वहा प्रतिवादीगण की रची गयी साजिश की चार्चासुन कर प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के पास जाकर जानकारी की और उनसे कहा कि यह ठाकुर जी की जमीन है। आप आवासीय भूखण्ड नही बना सकते तो उन्होंने ऐलानियां कहा कि हम इस जमीन में आवासीय कॉलोनी बना कर रहे इस जमीनों से ठाकुर जी का कोइ सबंध नही है। यह हमारे खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादीगण ठाकुर जी के खातेदारी अधिकारों को नकारने लग गये है। व ठाकुर जी को कब्जा देने से भी इंकार कर दिया हैं। यही वजह नालिश है। प्रतिवादी

अधिकारी
करौली (राज०)

नं0 1 ता 3 के हक में जो खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने राजस्व कर्मचारियों से व प्रतिवादी स0 4 ता 8 से साज कर प्रशासन में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने करा लिये है। विधि विरूद्ध है। निरस्तनीय है। और ठाकुर जी के हितो पर प्रभावहीन व शून्य है। व वादी ठाकुर जी अपने नाम के खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त करने व खातेदारी इन्द्राज अपने हक में कराने व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 से दखल प्राप्त करने व प्रतिवादीगण को रहन वय नही करने व ठाकुर जी की कृषि भूमि को अकृषि से परिवर्तित नही करने हेतू जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने के मुश्तहक हैं। आराजी खसरा नं0 5430, 5421, 5432, रकवा 1 वीघा कस्बा करौली को प्रतिवादी सं0 4 ता 8 पंच महाजनान ने विनाय बदयान्ति वादी की वगैर मरजी के राजस्व कर्मचारियों से साज कर ठाकुर जी के खुद काश्त खातेदारी की उक्त आराजीयात को बेईमानी पूर्वक अनुचित लाभ उठाने की गरज से ठाकुर जी के नाम के इन्द्राजों को राजस्व रिकार्ड से हटवा कर पंच महाजनान के नाम के इन्द्राज करा लिये जब वादी ने इस इन्द्राजों को दुरूस्त कराने को कहा तो प्रतिवादीगण 4 ता 8 साफ इंकार हो गये और कहा कि ठाकुर जी का इस भूमि से संबंध नही हैं। यह तो हमारी पंच महाजनान की भूमि है। तुम दखल देने वाले कौन होते है। तुम जहां चाहों पुकारों मंदिर महाजनों का हैं। हम भी महाजन है। तुम जमीन को हजम करने की बात करते तो हम तो इसी प्रकार मंदिर की संपत्ति को हजम करेंगें। प्रतिवादीगण के हक में राजस्व रिकार्ड में जो गलत इन्द्राज अपने नाम के करा लिये है जो गैर कानूनी हैं। और निरस्त होने योग्य हैं। दिनांक 13.11.09 को जिला कलेक्टर से उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर मालूम हुआ है कि उक्त विवादित भूमि दर्ज वाद पत्र पैरा नं0 1 में से ख0न0 5315 रकवा 5 वीघा 1 विस्वा जमीन जिसका साविक नं0 4188 है का नामान्तकरण दिनांक 13.02.09 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक में वगैर वादी की मरजी के कर दिया है। जो वादी के हकूको पर प्रभावहीन हैं। और गैर कानूनी होने के आधार पर वादी के हकूको पर बेअसर हैं। और निरस्त होने योग्य है। वादी ने प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने दिनांक 10.11.09 को कहा तो उन्होने कहा तुम कौन हो हमे तो मंदिर प्रबंधक समिति

ने इस भूमि का विक्रय किया है। हम तो इस भूमि को आवासीय कॉलोनी में परिवर्तित करके रहेगें तुम चाहे जहां पुकारों मुझ वादी ने दिनांक 10.11.09 को जब प्रतिवादी सं0 4 ता 8 से इस संबंध में बातचीत की तो उन्होने कहा हम तो अभी 1 बीघा भूमि दर्ज वाद पत्र पैरा नं0 2 व 3 जो हमने पंच महाजनान के नाम कराली है का भी इसी प्रकार गुप्त रूप से बेचानी करेगें और इसी प्रकार अनुचित लाभ लेगें हम प्रबंधक है। यह हमारी व्यवस्था है। तुम हमारा कुछ नही कर सकते तुम पर जो किया जावे करो अदालत खुली पडी है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के अनाधिकृत कृत्य से वादी के हकूको पर भारी आघात है। उक्त आराजीयात दर्ज वाद पत्र पैरा नं0 2 व 3 में खडे वृक्षों को काटने पर उतारू हो रहे है। और निर्माण कराने के प्रयास में है। और दीगर रहन वय करने पर भी आमादा है। इस सब कृत्यों से वादी के हकूको पर भारी आघात है। इसलिये वादी साविक खातेदारी के आधार पर उक्त विवादित आराजीयात दर्ज वाद पत्र पैरा नं0 2 व 3 की घोषणा व राजस्व रिकार्ड के हक में इन्द्राज दुरुस्ती कराने का मुश्तहक है। वादी प्रतिवादीगण को अपने खातेदारी की उक्त आराजीयात खसरा नं0 5315 रकवा 5 वीधा 1 विस्वा, 5430, 5421, 5432 रकवा 1 वीघा कस्बा करौली पर काबिज रखना नही चाहता क्यों कि इस प्रकार के अवैध साजिश व हस्तान्तरण से भविष्य में बेचान के कारण प्रतिवादीगण से कब्जा वापिसी मांगने की दिनांक 18.11.09 को कही तो साफ इंकार हो गये इसलिये प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात पर ट्रेस पासर काबिज होने से काबिल बेदखली है। विनाय दावा दिनांक 10.11.09 व 13.11.09 को प्रतिवादीगण की फर्जीयत की जानकारी मालूम होने पर दिनांक 18.11.09 को वादी के हकूको सें इंकार करने पर अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुआ। दावा अंदर मियाद है। काबिल समाअत अदालत हाजा है। दावा वादी व खिलाफ प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 मय खर्चा डिक्री फरमाया जावे कि विवादित आराजीयात खसरा नं0 5315 रकवा 5 वीधा 1 विस्वा, 5430, 5421, 5432 रकवा 1 वीघा वाके कस्बा करौली मुन्दर्जे वाद पत्र पैरा नं0 2 व 3 खातेदारी की घोषणा वादी के हक में की जावें एवं कागजात पटवार में से प्रतिवादी नं0 1 ता 3 व 4 ता 8 पंच महाजनान का नाम हजफ

करौली (राज०)

फरमाया जावे और वादी का नाम कागजात पटवार में अंकित किया जावे। आराजीयात खसरा नं0 5315 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा का अवैध नामान्तकरण दिनांक 13.02.09 को हुआ है। उसे व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 पंच महाजनान के अवैध नाम को प्रभावहीन घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वाद पत्र के मद नं0 2 में वर्णित आराजी खसरा नं0 5330, 5421, 5432 कुल किता 4 कुल किता 6 बीघा 11 बिस्वा स्थित वाके कस्बा करौली को अन्य किसी को विधि की किसी भी रीति से हस्तान्तरण न तो स्वयं करे नाअन्य किसी अन्य से करावें। अंत में दावा वादी डिक्री किया जाने का निवेदन किया है।

वकील वादी प्रतिवादी नंबर 4 ता 8 का बहस में कथन है कि वादी का परपीच्यूल माईनर होना स्वीकार है। वादी की ओर से घनश्याम पुत्र कलुआ को दावा करने का कोई अधिकार क्षेत्र हासिल नही है। वादी ना तो ठाकुर जी का दर्शनार्थी है ना ही काबिज है। घनश्याम ने दावा के टाइटल में अपना पूरा पता मकान नंबर मोहल्ला आदि तक दर्ज नही किया है। वादी ठाकुर जी गोविन्द देव जी की खातेदारी व कब्जे काश्त की होना स्वीकार है वाकी इवारत गलत है और स्वीकार नही है। पंच महाजनान द्वारा ठाकुर जी की चल व अचल संपत्ति की देखभाल के लिए प्रबंध समिति बनाई जाना स्वीकार है। वाकी इवारत गलत है और स्वीकार नही है। प्रतिवादी नं0 4 ता 8 का चतुर व चालाक होना, अन्य कई संस्थाओं में अनुचित लाभ दृष्टिकोण होना समुह बना कर धार्मिक आस्था का दुरूपयोग करना, कपट पूर्वक व बेईमानी पूर्वक ठाकुर जी की संपत्ति का अनुचित लाभ लेना सभी तथ्य गलत दर्ज किये गये है। हम जवाबदारान की ओर से ना तो कोई गुप्त सौदा हुआ है ना ही हम आवासीय कॉलोनी बनाने पर उतारू है। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के हक में नामान्तकरण होना उनके द्वारा ब्ल्यू प्रिंट बनवाना हमारी जानकारी में नही हैं। दिनांक 10.11.09 की कहानी गलत दर्ज की गयी है। दावा कर्ता घनश्याम कोई दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विवादित जमीनें हम प्रतिवादीगण नं0 4 ता 8 द्वारा ना तो अपने नाम दर्ज कराया है ना ही हमने पंच महाजनान के

करौली (राज०)

नाम कराया है। घनश्याम दावा पेशकर्ता ने कभी भी हम जवाबदारान घनश्याम को जानते तक नही वादी गोविन्द देव जी की जमीन को स्वय हडपना चाहता है। इस दावे की आड मे अदालत के आदेश से जमीनो पर स्वय कब्जा लेना चाहता है। इसलिये पूरी दावेदारी किसी भी सूरत मे दिये जाने योग्य नही है। विवादित जमीन खसरा नं0 5310 का नामान्तकरण दिनांक 13.2.09 को बिना जानकारी ठाकुर जी गोविन्द देवजी के होना स्वीकार है। नामान्तकरण ठा.गोविन्द देवजी के हकों पर प्रभावहीन व बेअसर होना भी स्वीकार है। शेष इबारत गलत है और स्वीकार नही है। दिनांक 10.11.09 की कहानी गलत दर्ज की है। हम जवाबदारान से घनश्याम माली की कोई बात नही हुई, गलत तथ्य दर्ज किये है। प्रति. नं0 1 ता 3 द्वारा नक्शा बनवाना आवासीय कॉलोनी काटने की बातचीत हमारी इल्म में हमारे सामने कभी भी नही हुई है। दावा पेश करता घनश्याम कोई दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। हमारे द्वारा कभी कोई पेड ठाकुर जी की किसी भी जमीन में ना तो काटे है ना ही कटवाये है ना ही कोई निर्माण कराया ना ही निर्माण कराना चाहते है। दिनांक 18.11.09 की कहानी भी बिल्कुल गलत दर्ज की गयी है। पूर्ण जवाब उज्रात मजीद में दर्ज किया जा रहा है। घनश्याम को हम जवाबदारान के विरुद्ध कोई विनाय दावा पैदा नही हुई। ठाकुर जी गोविन्द देवजी विराजमान मंदिर गोविन्द देव जी अनाज मण्डी करौली का सेवा पूजा जमीन जायदाद की देखभाल रख रखाव सुरक्षा आदि का कार्य पंच महाजनान करौली द्वारा किया जाता है। अग्रवाल समाज द्वारा इस संबंध में चुनाव द्वारा प्रबंधक नियुक्त किये जाते है। ठाकुर जी गोविन्द देव जी की जमीन जायदाद को सुरक्षित करने के लिये प्रबंधकगण द्वारा जमीनों के कई मुकदमें कर अधिकतर जमीनों की खातेदारी वापिस ठाकुर जी मंदिर गोविन्द देव जी के नाम कराई है। कुछ जमीनों को कब्जा प्राप्त कर लिया हैं। कुछ पर कब्जा लेने की प्रक्रिया न्यायालयों में लंबित हैं। जिसमें प्रबंधकगण व अग्रवाल समाज अपनी ओर से पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। विवादित आराजी खसरा नं0 5430, 5421, 5432 कस्बा करौली का जमाबंदी में पंच महाजनान के हक में सैटलमेंट विभाग द्वारा किया गया है। सन् 1958 से पंच महाजनान के नाम खातेदारी दर्ज हुई

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

है। जिस पर ठाकुर जी गोविन्द देवजी के प्रबंधक की हैसियत से हमारा कब्जा है। हमने इन जमीनों को कही रहन वय नही किया है ना ही रहन वय करने का इरादा रखते है ठाकुर जी की जमीन है। ठाकुर जी की ही रहेगी। इन जमीनों के अलावा कुछ अन्य जमीनें भी पंच महाजनान के खातेदारी में आ गयी थी उन्हें धीरे धीरे ठाकुर जी मंदिर गोविन्द देव जी के हक में प्रबंधकगण द्वारा इन्द्राज कराया जा चुका है। विवादित उक्त जमीनें पंच महाजनान के नाम रहे गये है इनकी भी ठाकुर जी के हक में खातेदारी की कार्यवाही की जा रही है। घनश्याम माली ठाकुर जी की आड में जमीनों का कब्जा हम से प्राप्त नही कर सकता है। हम जवाबदारान का ठाकुर जी गोविन्द देव जी से कोई एडवर्स इन्ट्रेस्ट नही है। हमारे द्वारा कभी कोई बेचान नही किया गया ना ही कोई राशि प्राप्त की ना ही कोई व्यक्तिगत लाभ लिया है। घनश्याम माली द्वारा हमारी खिलाफ इस दावे में जो गलत लांछन लगाये जाने है उसके लिये विरूद्ध अलग से कार्यवाही की जा रही है। आराजी खसरा नं0 5315 कस्बा करौली का बेचान भी हम जवाबदारान द्वारा नही किया गया है। नामान्तकरण खुलने में भी हमारी सहमति नही रही है। हमारे द्वारा ना तो उसमें प्लाट काटे जा रहे है ना ही नक्शा तैयार किया है ना ही हमारी सह पर यह कार्यवाही हो रही है। खसरा नं0 5315 कस्बा करौली ठाकुर जी मंदिर गोविन्द देव जी महाराज करौली की खातेदारी व कब्जे काश्त की है और हमेशा ठाकुर जी की ही खातेदारी की रहेगी। ठाकुर जी की जमीन को बेचने का हक किसी प्रबंधक को नही हैं। यदि यह जमीन ठाकुर जी के पूर्व में रहे प्रबंधक द्वारा वय की गयी है तो वह भी गैर कानूनी है। यदि कोई वयनामा हुआ हो तो वह भी नल एण्ड वोइड हैं। उससे खरीददार कोई लाभ प्राप्त नही कर सकते है। घनश्याम पुत्र कलुआ जाति माली निवासी करौली को ठाकुर जी की ओर से दावा करने का कोई अधिकार नही है। घनश्याम ठाकुर जी गोविन्द देवजी में कोई हित नही रखता हैं। घनश्याम ठाकुर जी का दर्शनार्थी नही है। यहा तक कि दावा में घनश्याम का पूरा पता मकान मोहल्ला तक दर्ज नही है। जवाबदारान से घनश्याम कभी नही मिला ना ही हमारी कोई बातचीत हुई गलत तथ्य दर्ज करते हुऐ यह दावा विवादित जमीनों पर कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

प्राप्त करने की दृष्टी से कर दिया है। दावा ठाकुर जी के हित में नही किया गया है। आराजी खसरा नंबर 5315 रकवा 5 वीघा 1 बिस्वा वाके कस्बा करौली ठाकुर जी गोविन्द देवजी के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। परपीच्यूल नावालिग की जमीनों का बेचान नही हो सकता ना ही ऐसे बेचान से खरीददार को कोई खातेदारी हकूक प्राप्त हो सकते हैं। बेचान ठाकुर जी के हकूको पर प्रभावहीन बेअसर है। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के हक में जो जमाबंदी में इन्द्राज हो रहे हैं। वह गलत है इसलिये इस जमीन की खातेदारी ठाकुर जी गोविन्द देव जी के हक में घोषित की जावे। घोषणा के अनुसार राजस्व एवं रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने जो अवैध कब्जा इस जमीन पर कर रखा हैं। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को बेदखल कर कब्जा ठाकुर जी गोविन्द देव जी को जरिये प्रबंधकगण दिलाया जावें। प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे इस जमीन में कोई निर्माण कार्य नही करे ना किसी अन्य से करायें। मौके की स्थिति यथावत रखें। आराजी खसरा नं0 5430, 5421, 5432 रकवा 1 वीघा का ठाकुर जी गोविन्द देव जी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। इसी अनुसार रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज किये जाते है। अंत में दावा वादी खारिज व काउन्टर क्लेम डिक्री किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित नहीं है।

पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी से आराजी खसरा नंबर 5315 वादी मंदिर के खुदकाश्त खातेदारी में संवत 2015 सेटलमेंट खतौनी में दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी संवत 2064–67 में प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 के खातेदारी में दर्ज है एवं मंदिर भूमि होने से रेफरेंस के निर्देश दिये जाने का इंद्राज जमाबंदी पर दर्ज है। इस समस्त तथ्यों से भूमि खसरा नंबर 5315 वादी मंदिर की खातेदारी की होना साबित होता है। वादी द्वारा कब्जे के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली में मौखिक प्रस्तुत नहीं की है एवं भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किस सन् व संवत में कब्जा किया गया है। इस तथ्य को भी वादी ने

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

अपनी साक्ष्य से साबित नहीं किया है। दावा वादी आंशिक डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है। वादी ठाकुरजी श्री मंदिर गोविन्द देवजी महाराज विराजमान अनाजमंडी करौली को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 5315 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा व दखल बाबत खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....10/5/26..... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली